

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2016-आषाढ़ 31, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर-452001

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की इकसठवीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त, 2016 को दोपहर 04.00 बजे "वित्त भवन", मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा.—

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 30 जुलाई से 19 अगस्त, 2016 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

#### नोट:

- (क) इकसठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था). जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 11 अगस्त, 2016 तक पहुँच जाना चाहिए.
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 8 अगस्त, 2016 तह पहुँच जाना चाहिए.
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

08 जुलाई, 2016

"वित्त भवन"

मुम्बई-आगरा मार्ग,  
इन्दौर-452 001.

(237-बी.)

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 61<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the head Office of the Corporation, " Finance house", Mumbai-Agra Road, Indore on Friday, the 19<sup>th</sup> August, 2016 at 4.00 P.M. to Transact the following business :-

1. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account Of the Corporation for the year which ended on 31<sup>st</sup> March, 2016 (together with the Report of the Auditors thereon) and the report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2016-17.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the chairman.

The Share Register of the corporation will remain close from 30<sup>th</sup> July to 19<sup>th</sup> August, 2016 (both days inclusive).

**NOTES:**

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolution appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 61<sup>st</sup> Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days *i.e.* 11<sup>th</sup> August, 2016.
- (b) Proxies Should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i.e.* 8<sup>th</sup> August, 2016.
- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

08<sup>th</sup> July, 2016

By Order of the Board of Directors

"Finance House"  
Mumbai -Agra Road,  
INDORE-452 001.

**SMITA BHARADWAJ,**  
Managing Director.

(237-A-B.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-विदित हो कि मैं, आरती चतुर्वेदी सूचित करती हूँ कि मेरी सीबीएसई 10वीं सत्र 2011-13 की अंकसूची में मेरे पिता के नाम की स्पेलिंग PROMOD गलत दर्ज है. जबकि सही स्पेलिंग PRAMOD है. भविष्य मेरे पिता को सही नाम से जाना जावे.

आरती चतुर्वेदी,  
Pramod kumar chaturvedi,  
Bajarang Vihar Colony, Thatipur  
Gwalior (M.P.).

(238-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पासपोर्ट क्रमांक A-9607277, जो कि भोपाल पासपोर्ट कार्यालय से दिनांक 16-05-2001 को जारी हुआ है में मेरा नाम आशित शर्मा (ASHIT SHARMA) अंकित है जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड (PSU) में मेरा नाम आशित कुमार शर्मा (ASHIT KUMAR SHARMA) अंकित है जो कि मेरे विभिन्न दस्तावेजों जैसे-वोटर कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में भी अंकित है. अब मुझे भविष्य में आशित कुमार शर्मा (ASHIT KUMAR SHARMA) के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( आशित शर्मा )

( ASHIT SHARMA )

नया नाम :

( आशित कुमार शर्मा )

( ASHIT KUMAR SHARMA )

पुत्र-श्री सत्यपाल शर्मा,

निवासी-25, कल्पना नगर, सात नम्बर चौराहा,  
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(239-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम दीप चन्द जैन नेमीचन्द जैन था. अब मैंने अपना नाम बदलकर दीपक जैन पुत्र नेमीचन्द जैन रख लिया है. इसी नाम से मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड है. अब मैं, दीपक जैन पुत्र नेमीचन्द जैन के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ और भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( दीपचन्द जैन )

नया नाम :

( दीपक जैन )

बैंक ऑफ बड़ौदा के पास,

सराफा बाजार, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(240-बी.)

**जाहिर सूचना**

मेरे पक्षकार सुरेशचन्द्र पिता श्री भरतलालजी, निवासी-मकान नं. 735-बी, सैलाना यार्ड, ओल्ड रेल्वे कॉलोनी, रोड नम्बर-2, रतलाम से प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का अंकसूची व जाति प्रमाण-पत्र में नाम सुरेशचन्द्र अंकित है परन्तु कुछ प्रमाणपत्रों में सुरेशचन्द्र की जगह सुरेश चौधरी अंकित है उक्त दोनों नाम मेरे होकर एक ही व्यक्ति हूँ मेरे पक्षकार को उक्त दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता है. मेरे पक्षकार के सभी प्रमाणपत्रों में पिता का नाम भरतलाल व माता का नाम रूकमाबाई अंकित है. किसी प्रकार कोई भ्रांति नहीं रहे इसलिये इस जाहिर सूचना के माध्यम में मेरे पक्षकार यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि सुरेशचन्द्र व सुरेश चौधरी दोनों ही मेरे पक्षकार के नाम होकर वह एक ही व्यक्ति है.

सुधांशु राय सक्सेना,  
(एडवोकेट).

(241-बी.)

**नाम परिवर्तन**

समस्त आमोखास को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र पियूष अब्राहम पिता सत्येन्द्र अब्राहम, उम्र 18 वर्ष, निवासी एच. टाईप 294, शंकर शाह नगर, रामपुर-जबलपुर के समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम सत्येन्द्र अब्राहम दर्ज है, परन्तु हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट की अंकसूची में पिता का नाम दर्ज है, जो गलत है. अतः हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची में पिता का नाम रॉबी जॉन की जगह सत्येन्द्र अब्राहम लिख, पढ़ा, सुना, जाना जावे तथा भविष्य में मेरे पुत्र को पियूष अब्राहम पिता सत्येन्द्र अब्राहम के नाम से जाना जावे.

आबेदिका—

रोजी अब्राहम,

म. नं. एच. 294, शंकर शाह नगर,  
रामपुर-जबलपुर.

(242-बी.)

**CHANGE OF NAME**

I, SUNIL KANWAR S/o HUKUMCHAND KANWAR changed my name to VIKRAM KANWAR S/o HUKUM CHAND KANWAR and now I would be known as VIKRAM KANWAR.

Old Name:

( SUNIL KANWAR )

New Name :

( VIKRAM KANWAR )

S/o HukumChand Kanwar,  
Address—04/248, Pawan Nagar,  
Palda, Indore (M.P.).

(243-B.)

**CHANGE OF NAME**

I, PURNIMA MANJREKAR here by declare that after marriage I have change my name as SANJANA LAAD. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

( PURNIMA MANJREKAR )

New Name :

( SANJANA LAAD )

Address—95/1, Bhawanipur Colony,  
Annapurna Road, Indore (M.P.).

(244-B.)

**CHANGE OF NAME**

I, Pearly Jacob married with Rev. Jerry A. Sona on 27-01-1998 and from the said wedlock my daughter Kathryn Amanda was born on 22-08-2002. That instant marriage was dissolved by the order dated 29-06-2015 in Family Court Jabalpur & Case No. 134 A/2015 & it is agreed that my daughter Kathryn Amanda will live with me being a mother I am Natural Guardian of my daughter Kathryn Amanda. That earlier my daughter's name was recorded as Kathryn Amanda Jerry in the records but now I need to change her name as Kathryn Amanda. That through affidavit & this publication I inform/declare that my daughter will be known with name Kathryn Amanda only & her earlier records be changed from her corrected name *i.e.* Kathryn Amanda.

( PEARLY JACOB )

D/o Late Mr. P K Jacob,  
R/o 61, Johnson Compound,  
Narmada Road, Jabalpur.

(245-B.)

### नाम परिवर्तन

स्वराज सिंह ठाकुर पुत्र स्व. हरीराम ठाकुर, निवासी-पुरवा, चुंगी चौक नं. 13, के पास, बचकेरा तालाब के पास म. नं. 1599, महाराणा प्रताप वार्ड जबलपुर का स्थायी निवासी है। मेरा सही नाम स्वराज सिंह ठाकुर पुत्र स्व. हरीराम ठाकुर दर्ज करने बावत् शपथ-पत्र पेश है। जो मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है एवं मेरे बच्चों के शैक्षणिक रिकार्ड में सुरेश सिंह ठाकुर एवं अंग्रजी में एस. एस. ठाकुर दर्ज है, जो मेरे ही नाम है। मेरे बच्चों के शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम स्वराज सिंह ठाकुर लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

( एस. एस. सिंह/सुरेश सिंह ठाकुर )

(246-बी.)

नया नाम :

( स्वराज सिंह ठाकुर )

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम प्रेम चन्द था। जिसे बदलकर मैंने अपना नाम प्रेम बांगा रख लिया है, अतः भविष्य में मुझे नए नाम प्रेम बांगा से जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

( प्रेम चन्द )

(247-बी.)

नया नाम :

( प्रेम बांगा )

वृन्दावन कॉलोनी, खरगौन(म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम SATYA PRAKASH था, परन्तु अब मैंने नाम परिवर्तित कर SATYA PRAKASH JHA कर लिया है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, आगे से मुझे SATYA PRAKASH JHA के नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :

( SATYA PRAKASH )

(248-बी.)

नया नाम :

( SATYA PRAKASH JHA )

बी-55, बी. एस. एफ. कॉलोनी,  
भिण्ड रोड, महाराजपुर ग्रिड ग्वालियर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ANAND CHANDUKA S/o RAM SHARAN CHANDUKA था, परन्तु अब मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर ANAND AGARWAL कर लिया है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, आगे से मुझे ANAND AGARWAL S/o RAM SHARAN CHANDUKA के नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :

( ANAND CHANDUKA )

(249-बी.)

नया नाम :

( ANAND AGARWAL )

S/o RAM SHARAN CHANDUKA  
41-A, Panchsheel Nagar,  
Bhopal (M.P.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स आस एण्ड कं. जिसका पता 23-24, हमीदिया रोड, बैरसिया, भोपाल मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 01/01/00019/14, वर्ष 2014-15 दिनांक 15-04-2014 पंजीयन फर्म है, जिसमें दिनांक 16-05-2016 से सुभाष शर्मा, 23-24, हमीदिया रोड, भोपाल मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। आमजन व सर्वजन सूचित हों एवं फर्म का नया पता-24, गोल्फ लिंक, फेस-2 लाल घाटी गुफा मंदिर रोड, भोपाल (म.प्र.) होगा।

(250-बी.)

मैसर्स आस एण्ड कं.

अरनव शर्मा पचौरी,

(भागीदार).

### NOTICE

#### U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm " M/s UTSAV GLOBAL FOUNDATION COMPANY " of Bhopal *Vide Reg.*

No. 01/03/01/00027/11, Date of Registration 21-04-2011 undergone the following changes:-

1. That the all parties here to have decided to dissolve the said partnership firm w.e.f. 01/11/2014.

" M/s UTSAV GLOBAL FOUNDATION COMPANY "

**VINOD PATIDAR,**

(Partner)

C/o Anant Utsav School, NH-12,

Vill. Simrai, Mandideep, Dist.-Raisen (M.P.).

(251-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स प्रेम वेयर हाऊसिंग, पता-ग्राम नयागांव कला, तह. बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 01/03/06/00077/08, है, जिसके भागीदार विलेख में परिवर्तन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। श्री रामकुमार चांडक (HUF) कर्ता आत्मज स्व. श्री मदन गोपाल चांडक, निवासी-मेन मार्केट, उदयपुरा, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन को आपसी सहमति से फर्म से दिनांक 30-06-2016 को निवृत्त किया जाता है एवं श्रीमति अर्चना राठी पत्नी श्री रविमोहन राठी, निवासी राठी कॉलोनी, बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) एवं श्रीमती महिमा राठी पत्नी श्री रमाकान्त राठी, निवासी राठी कॉलोनी, बरेली, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) उक्त दोनों को फर्म में दिनांक 30-06-2016 को नया भागीदार बनाया गया। अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तित नये भागीदार एवं निवृत्त भागीदार से फर्म संबंधी कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसका हित प्रभावित होता है, वह सूचना-पत्र प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समयावधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी एवं शून्य मानी जावेगी।

भवदीय

**शिबल सिंह चौहान,**

(अधिवक्ता)

(252-बी.)

कार्यालय-194, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल.

### विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर**

प्र.क्र.02/बी-113/2015-16.

पेशी दिनांक 29 जुलाई, 2016

प्रारूप-पांच

[ देखिए नियम-5(1) ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 की धारा-5 (1) व 5 (2) के अन्तर्गत ]

समक्ष-पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

आवेदक अध्यक्ष, सुनील पिता रामप्रसाद शर्मा, तहसील शुजालपुर के द्वारा मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये शीतला माता मंदिर धार्मिक एवं लोक न्यास अकोदिया, पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक 29 जुलाई, 2016 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय-अकोदिया, तहसील-शुजालपुर.
2. कार्यक्षेत्र-अकोदिया, तहसील-शुजालपुर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश.
3. न्यास का उद्देश्य-धार्मिक एवं पारमार्थिक.
4. न्यास के आय के साधन-दान आदि.

**चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है-**

चल सम्पत्ति	:	निरंक.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

(523)

गिरीश कुमार मिश्रा,  
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर****फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री दिगम्बर जैन आदि वीर जिनालय कल्पवृक्ष तीर्थ धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट तर्फे श्री अर्पित प्रकाश जैन, पता-56, वर्धमान नगर, इन्दौर द्वारा श्री दिगम्बर जैन आदि वीर जिनालय कल्पवृक्ष तीर्थ धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता-जैन कॉलोनी, आमेक्स सिटी ग्राम-बाल्याखेडा, तहसील व जिला इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री दिगम्बर जैन आदि वीर जिनालय कल्पवृक्ष तीर्थ धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-जैन कॉलोनी, आमेक्स सिटी ग्राम-बाल्याखेडा, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 17 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,  
रजिस्ट्रार.

(524)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अम्बाह****प्रारूप-चार**

[ नियम-5(1) देखिए ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-5(1) के तहत]

आवेदक श्री सुरेन्द्र सिंह तोमर, सचिव, राजाराम शाह भगेश्वरी चिल्लाया माता, मंदिर ऐसाह द्वारा न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हक रखता हो और उसके वारे में कोई आपत्ति या सुझाव रखता हो उसे इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है.

अतः मैं, दिनेश चन्द्र सिंघी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अम्बाह अपने न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यासधारी या इससे हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उक्त दिनांक को स्वयं या अभिभाषक द्वारा उपस्थित होना चाहिये.

उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

लोक न्यास का नाम व पता : मंदिर भगेश्वरी चिल्लाया माता, ग्राम ऐसाह, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना.

आज दिनांक 07 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

दिनेश चन्द्र सिंघी,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(525)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास नीमच**

दिनांक 29 जून, 2016

**प्रारूप-चार**

[ नियम-5(1) देखिए ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूँकि के. एम. साबू पिता के. एम. जोन, निवासी-51, राजस्व कॉलोनी, नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 जून, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने के विचार रखता हो उसे इस विज्ञापित के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 जून, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री के. एम. साबू पिता के. एम. जोन, जेनेजीग ट्रस्टी, 51, राजस्व कॉलोनी, नीमच, जिला नीमच (मध्यप्रदेश)।
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण:		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र)।

आदित्य शर्मा,  
अनुविभागीय अधिकारी।

(526)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर**

प्र.क्र. 15-16/बी-113 (1)

**प्रारूप-4**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पं. श्री दिलीप शर्मा पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद शर्मा, निवासी पंचदेव आश्रम, रेल्वे गेट नं. 418 के पास विवेकानंद नीडम रोड, हरीशंकरपुरम, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक ..... को विचार के लिए दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक..... को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

1. लोक न्यास का नाम व पता : "श्री दुष्ट दलन हनुमान पंचदेव आश्रम ट्रस्ट"  
पंचदेव आश्रम, रेल्वे गेट नं. 418 के पास विवेकानंद नीडम रोड,  
हरीशंकरपुरम, जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण:

1. चल सम्पत्ति : 11,000/- रुपये.  
2. अचल सम्पत्ति : निरंक.

महीप तेजस्वी,  
पंजीयक.

(522)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, परगना, गुना**

प्र.क्र. 3/बी-113/15-16/3567.

गुना, दिनांक 01 जुलाई, 2016

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-7 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष.

यतः कि न्यासधारी श्री नन्लाल प्रजापति पुत्र श्री मंगलिया प्रजापति कमला नेहरू मार्ग, गुना "श्री जगदंबा लोक न्यास गुना" मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर 15 जुलाई, 2016 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- लोक न्यास का नाम व पता : "श्री जगदंबा लोक न्यास गुना".  
चौक : श्री अंबे तलैया, गुना.  
चल सम्पत्ति : न्यास के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है.  
अचल सम्पत्ति : न्यास के पास अचल सम्पत्ति श्री अंबे चौक कस्तूरबा,  
कन्या मा. वि. के समीप 50 X 60 फीट शासकीय भूमि स्थित है,  
जिसका बाजारू मूल्य लगभग पांच लाख रुपये है.

दिनेश चंद्र शुक्ला,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(540)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल**

प्र.क्र. /बी-113/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 का नियम (1) के अंतर्गत]

जैसा कि "सिंधु-शंकर दाणी स्मृति जन कल्याण ट्रस्ट" ई-8/15, चार इमली, भोपाल द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी श्री इन्द्रनील शंकर दाणी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.



एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 02 अगस्त, 2016 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देने चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकरण के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “सिंधु-शंकर दाणी स्मृति जन कल्याण ट्रस्ट”. |
| 2. अचल सम्पत्ति  | : | निल.                                       |
| 3. चल सम्पत्ति   | : | 4,58,231-00                                |

आज दिनांक 02 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

कमल सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(541)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/345, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा, तहसील कुरवाई, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./978, दिनांक 07 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखंड कुरवाई को धारा-70 (1) के अंतर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 09 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/338, विदिशा, दिनांक 4 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./982, दिनांक 9 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-A)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित शमशाबाद, तहसील शमशाबाद को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/337, विदिशा, दिनांक 4 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./984, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-B)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/744.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 सितम्बर, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी

संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/347, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./888, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-C)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/745.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंजबासौदा, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 नवम्बर, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गंज बासौदा तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2016/349, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंजबासौदा तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गंज बासौदा, तहसील बासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./753, दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-D)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/748.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 06 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस

सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/334, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हाईटेक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरबाड़ा, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./977, दिनांक 06 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-E)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत ]

क्र./परि./2016/761.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 जुलाई, 2006 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/358, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./718, दिनांक 21 जुलाई, 2006 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-F)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत ]

क्र./परि./2016/762.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित नामाखेड़ी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 जून, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित नामाखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/362, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित नामाखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित नामाखेड़ी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./690, दिनांक 30 जून, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-G)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/763.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 जून, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/364, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./688, दिनांक 21 जून, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-H)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/764.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माधव फल, सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 सितम्बर, 2001 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये माधव फल, सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/365, विदिशा,

दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से माधव फल, सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माधव फल सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./594, दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-I)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत ]

क्र./परि./2016/765.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लशकरपुर, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लशकरपुर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/335, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लशकरपुर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सारथी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लशकरपुर, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./985, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-J)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत ]

क्र./परि./2016/766.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 अप्रैल, 2003 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/363, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रतनबरी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./658, दिनांक 21 अप्रैल, 2003 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-K)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/767.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/360, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./723, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना उप अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-L)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/768.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 जनवरी, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/366, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./583, दिनांक 12 जनवरी, 1999 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-M)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/769.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 मार्च, 2011 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/357, विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./778, दिनांक 21 मार्च, 2011 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-N)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/770.-श्री एम. एस. भदौरिया, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन ने अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 में लेख किया है कि जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, शमशाबाद, जिला विदिशा पंजीयन के कुछ समय बाद से ही अक्रियाशील है तथा निर्वाचन कराने का व्यय भी भंडार के पास नहीं है। भंडार का अंकेक्षण भी नहीं हुआ है। प्रशासक द्वारा भंडार को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/491, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। भंडार द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, शमशाबाद, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./750, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नटेरन को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-O)



विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/771.-श्री आर. के. कटारे, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2015 में लेख किया है कि श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा के पूर्व अध्यक्ष श्री चंदन सिंह रघुवंशी से संस्था का चार्ज लेने हेतु प्रयास किया किन्तु संस्था का चार्ज नहीं मिल सका. संस्था की सहकारिता विधान के पालन करने में तथा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं है. गत अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से संस्था दो वर्षों से पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/495, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मानोरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./738, दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-P)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/772.-श्री अनिल सक्सेना, प्रशासक एवं उप अंकेक्षक ने अपने पत्र दिनांक निल में लेख किया है कि मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, परन्तु, जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज संस्था का रिकार्ड आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो सका है. संस्था के पूर्व अध्यक्ष विनय सिंह द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया कि उनके पास एक कार्यवाही पुस्तिका के अतिरिक्त कोई रिकार्ड पूर्व अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया. संस्था के पूर्व अध्यक्ष बालकिशन से भी सम्पर्क किया गया उन्होंने भी लिखकर दिया कि उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है. संस्था का रिकार्ड अप्राप्त होने से संस्था का निर्वाचन प्रारंभ करना संभव नहीं है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/494, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जल क्षेत्रीय भोई समाज सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज एडी.आर/ व्ही.डी.एस./235, दिनांक 12 मई, 1981 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड नटेरन को धारा-70 के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(529-Q)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/773.-श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारिता निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 में लेख किया है कि लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष से संस्था का चार्ज लेने हेतु दो बार चर्चा होने के उपरांत भी संस्था का चार्ज नहीं दिया जा रहा है. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2, (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/493, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा मेवली, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./680, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री ओ. पी. शर्मा, उप-अंकेक्षक कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-R)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/774.-श्री एन. पी. शर्मा, प्रशासक एवं अंकेक्षण अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2016 में लेख किया है कि जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा पूर्णतः अक्रियाशील संस्था है तथा निर्वाचन कराने में पदाधिकारियों की कोई रुचि नहीं है। प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/489, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर/ व्ही.डी.एस./325, दिनांक 07 मई, 1988 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री ओ. पी. शर्मा, उप अंकेक्षक कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-S)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/775.-श्री के. एम. अग्रवाल, प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2015 में लेख किया है कि माँ हरसिद्धि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष द्वारा बतलाया गया कि संस्था पंजीयन दिनांक से बंद है। पंजीयन के उपरांत कोई कारोबार नहीं किया गया है। वर्तमान में संस्था का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जावे। प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/492, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से माँ हरसिद्धि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ हरसिद्धि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./692, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री ओ. पी. शर्मा, उप अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-T)

विदिशा, दिनांक 24 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/776.-श्री एन. पी. शर्मा, प्रशासक अंकेक्षण अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2016 में लेख किया है कि परशुराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा अक्रियाशील है तथा निर्वाचन कराने में पदाधिकारियों की कोई रूचि नहीं है। प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का लेख किया है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/490, विदिशा, दिनांक 02 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से परशुराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, परशुराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./ व्ही.डी.एस./307, दिनांक 22 मई, 1987 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री ओ. पी. शर्मा, उप अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-U)

विदिशा, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/777.-श्री डी. के. भारद्वाज, उप अंकेक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मडदेवरा, पोस्ट खामखेड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2016 में उल्लेख किया है कि संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को किया जाना था, मेरे द्वारा संस्था अध्यक्ष/सचिव से व्यक्तिगत रूप से एवं दूरभाष पर सम्पर्क किया गया लेकिन संस्था के द्वारा सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, इस कारण से संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन नहीं किया जा सका। संस्था अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा संस्था के निर्वाचन में रूचि नहीं ली जा रही है।

श्री डी. के. भारद्वाज के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-(2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/573, विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मडदेवरा, पोस्ट खामखेड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मडदेवरा, पोस्ट खामखेड़ा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./845, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री ओ. पी. शर्मा, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-V)

विदिशा, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/778.-श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2016 में उल्लेख किया है कि संस्था के सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था के आवश्यक कारण जैसे-समाचार-पत्र में विज्ञापन एवं निर्वाचन सेट हेतु आवश्यक धनराशि नहीं है। इसलिये संस्था का निर्वाचन किया जाना संभव नहीं है।

श्री आर. के. कटारे के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-(2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन /2016/574, विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बण्डवा, पोस्ट सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./874, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-W)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/746.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/346, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./986, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय, सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(529-X)

विदिशा, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/747.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा

के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 मार्च, 1971 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है, जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/341, विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./188, दिनांक 25 मार्च, 1971 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय, सहायक पंजीयक(अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,  
उप-पंजीयक.

(529-Y)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्था मर्यादित, ग्यारसपुर

विदिशा, दिनांक 16 जून, 2016

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	सिद्धेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, अंडियाकलां.	614/30-03-2002	1241/7-12-2015
2.	सफल बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्यादित, औलंजा.	987/16-01-2015	1240/7-12-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पथरई	997/16-03-2015	649/12-5-2016
4.	आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा	982/09-01-2015	742/9-06-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी संस्थायें, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारों से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे, यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

आज दिनांक 16 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(530)

आर. के. सोनी,  
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये, मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस.के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या., भमेडी को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भमेडी	2203/30-07-1983	988/30-05-2016

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(532)

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,  
कुबेर साख सहकारी समिति, बीजनवाड़ा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1133.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है.—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533)

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,  
श्री कृष्ण साख सहकारी समिति, शिबपुर.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1134.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-A)

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दैनिक साख सहकारी समिति, आदमगढ़.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1135.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-B)

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

हरिजन आदिवासी मर्यादित, होशंगाबाद.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1136.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-C)

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

तवा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., घोगरी.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1137.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-D)

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

तवा मत्स्य सहकारी समिति, खापा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1138.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा



सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-E)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय माँ कृपा ईट सहकारी समिति, बराखड़ खुर्द.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1146.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-F)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

विध्यवासिनी क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सिंगानामा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1147.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-G)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय श्रीराम बीज सहकारी समिति, पिपल्याकलां.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1148.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-H)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

माँ रेवा उन्नत सहकारी समिति, साँगाखेड़ा कलां.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1149.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-1)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

मंगला पौध बीज सहकारी समिति, केसला खुर्द.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1150.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-J)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय भारत साख सहकारी समिति, सूरजगंज, इटारसी.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1151.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-K)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

जय बजरंग बली बीज उत्पादक सहकारी समिति, हथवांस.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1152.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-L)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., बधवाड़ा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1153.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-M)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., डाँगीवाड़ा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1154.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को "द" वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-N)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., लोहारिया.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1155.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-O)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., मुड़ियाखेडी.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1156.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-P)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., बावरी घाट.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1157.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., भिलाड़िया कलाँ.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1158.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशांसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-R)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., हिरनखेड़ा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1159.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशांसा

सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-S)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., धरमकुंडी.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1160.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षकों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

(533-T)

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून, 2016

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सेवा सहकारी समिति मर्या., चतरखेड़ा.

विषय :- कारण बताओ सूचना-पत्र अन्तर्गत धारा-69 (3).

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद का पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/513, दिनांक 19 मई, 2016.

क्र./परि./2016/1161.—विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार निम्न आधार पर आपकी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा



सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा की गई है .—

1. अंकेक्षणों के द्वारा ऑडिट किये जाने के उपरांत संस्था को “द” वर्ग से वर्गीकृत किया गया है. संस्था के अंकेक्षण टीप में आपत्ति ली गई है कि,
2. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.
3. संस्था जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई थी उनकी पूर्ति नहीं की गई.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से आपकी समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आरोप आपको स्वीकार हैं, आवश्यक आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर, कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जावेगा.

के. पाटनकर,  
उप-पंजीयक.

(533-U)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/615.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	भवानी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या. आष्टा	1679/16.03.12	प्रभात पट्टन
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., झिल्पाबिरोली	1330/11.12.95	प्रभात पट्टन
3.	साई महिला गृहउद्योग सह. समिति मर्या., आष्टा	1696/04.02.12	प्रभात पट्टन

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री हरिओम गुप्ता सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड प्रभात पट्टन को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/616.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर

चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कोथलकुण्ड	1658/16-11-2011	भैंसदेही
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कुकरू	1668/30-01-2012	भैंसदेही
3.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., देडपानी	1667/20-12-2011	भैंसदेही
4.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., माजरी	1622/08-03-2010	भैंसदेही
5.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., रामघाटी	1659/16-11-2011	भैंसदेही
6.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., राजनी	1662/30-11-2011	भैंसदेही
7.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बालनेर	1519/29-09-2005	भैंसदेही
8.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., भैंसदेही	1041/06-08-1983	भैंसदेही
9.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., झल्लार	937/20-10-1978	भैंसदेही

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. एल. डोंगरे सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड भैंसदेही को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-A)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/617.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., चोपना	1625/08-03-2010	आमला
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बडगाँव	1626/08-03-2010	आमला
3.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., नरेरा	1460/12-02-2012	आमला
4.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., अम्बाडा	1677/01-02-2012	आमला
5.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लिखडी	1654/27-08-2000	आमला
6.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लालावाडी	1651/21-04-2011	आमला

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश वडयालकर, प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड आमला को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-B)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/618.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	आदि. मत्स्यो. सह. समिति मर्या., हिडली	1634/29-06-2014	भीमपुर

उक्त संस्था द्वारा निर्धारित समयवाधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्था को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्था को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री उमेश यादव, उप-अंकेक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड भीमपुर को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-C)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/619.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	रोडू बीज उत्पा. सह. समिति. मर्या., झोली नं. 1	1693/14-08-2015	घोडाडोंगरी
2.	सतपुडा विपणन एवं प्रक्रिया सह. समिति मर्या., घोडाडोंगरी	1337/10-11-1995	घोडाडोंगरी
3.	समृद्धि महिला बहु. सह. समिति मर्या., जुवाडी	1584/12-09-2008	घोडाडोंगरी
4.	मजदूर कामगार उद्योग सह. समिति मर्या., घोघरी	1656/14-11-2011	घोडाडोंगरी
5.	आदि. कामगार उद्योग सह. समिति मर्या., धसेड	1678/04-02-2012	घोडाडोंगरी
6.	तवा आदि. मत्स्यो. सह. समिति मर्या., लोनिया	1277/20-01-1986	घोडाडोंगरी
7.	सहायता साख सह. समिति मर्या., सारणी	1801/25-03-2015	घोडाडोंगरी

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयवाधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रामबाबु रघुवंशी, उप-अंकेक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घोडाडोंगरी को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-D)

बैतूल, दिनांक 21 जून 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/620.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	तपश्री बीज उत्पा. सह. समिति मर्या. चिचौली	1642/22-11-2010	चिचौली

उक्त संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस संस्था को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्था को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एन. एल. कुशवाह, उप-अंकेक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड चिचौली को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-E)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/621.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	आदि. मत्स्यो. सह. समिति मर्या., खण्डारा	1639/30-10-2010	बैतूल
2.	शा. कर्म. गृहनिर्माण सह. समिति मर्या., बैतूल	1084/05-07-1984	बैतूल
3.	पाटीदार फर्नीचर उद्योग सह. समिति मर्या. बैतूल	1524/27-12-2005	बैतूल
4.	पुलिस कर्म. गृहनिर्माण सह. समिति मर्या., बैतूल	1066/27-09-1983	बैतूल
5.	बोल बम बारदाना क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., बैतूल	1612/29-09-2009	बैतूल
6.	विश्वकर्मा औधौ. सह. समिति. मर्या., बैतूल	1012/19-01-1982	बैतूल
7.	खेडला कृषक विप. सह. समिति मर्या., बैतूल	1799/25-03-2015	बैतूल
8.	जन शक्ति साख सह. समिति मर्या., दभेरी	1807/25-03-2015	बैतूल
9.	सांपना बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., बैतूल बाजार	1756/14-02-2001	बैतूल
10.	जन जीवन साख सह. समिति मर्या., थावडी	1809/25-03-2015	बैतूल

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बैतूल को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-F)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/622.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज; कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	सूर्या बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., हिडली	1797/14-07-2014	आठनेर
2.	अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., आठनेर	1758/14-07-2014	आठनेर

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एल. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड आठनेर को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(534-G)

बैतूल, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/623.—इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/159, दिनांक 03 मई, 2016 से निम्नांकित सहकारी संस्थाएँ विगत वर्षों से अकार्यशील रहने और अनेक कोशिशों के बावजूद भी कार्यशील न होने पर अपने उद्देश्यों की पूर्ती न करने तथा संस्था सदस्यों के हित में न होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 मई, 2016, 25 मई, 2016, 26 मई, 2016 तक अपने पक्ष समर्थ में साक्ष्य/दस्तावेज, कथन, उत्तर चाहा गया था:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	तापित गृह निर्माण सह. समिति मर्या., मुलताई	79/10-10-1976	मुलताई
2.	आदर्श गृह निर्माण सह. समिति मर्या., मुलताई	1165/12-09-1986	मुलताई
3.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बुआलखापा	1674/01-02-2012	मुलताई
4.	जय भवानी साख सह. समिति मर्या., चिखली	1802/25-03-2015	मुलताई
5.	सत्यम शिवम सुन्दरम साख सह. समिति मर्या., मुलताई	1722/17-10-2013	मुलताई

उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं को परिसमापन के अधीन लाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ बैतूल, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र./एफ-5/1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमति पूनमसिंह, सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मुलताई को उपरोक्त संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,

उप-पंजीयक.

(534-H)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2014/.....दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रजहा, जिसे आगे केवल संस्था























अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नकैला, पंजीयन क्रमांक 634, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रचई प्रसाद सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है। साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

आर. पी. पाल,  
उप-पंजीयक.

(538-G)

### कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला-कटनी

कटनी, दिनांक 23 मई, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/683.— माँ शोरावली प्रा. उप. सहकारी भंडार मर्या., लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, कटनी पं.क्र 168 दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/318, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ शोरावली प्रा. उप. सहकारी भंडार मर्या., लाल बहादुर शास्त्री वार्ड कटनी, पं.क्र 168 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(535)

कटनी, दिनांक 23 मई, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/684.— के. जी. एन. के. डब्ल्यू महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पाठक वार्ड कटनी पं.क्र 209 दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/359, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था के. जी. एन. के. डब्ल्यू महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पाठक वार्ड कटनी, पं.क्र 209 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(535-A)

कटनी, दिनांक 08 जून, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/750.— अन्नपूर्णा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मुरवारी पं.क्र 288 दिनांक 22 मई, 1966 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/1071, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था अन्नपूर्णा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मुरवारी पं.क्र 288, का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(535-B)



कटनी, दिनांक 03 जून, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/771.— श्री कृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राम मनोहर लोहिया वार्ड, कटनी पं.क्र 347, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/347, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था श्री कृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., राम मनोहर लोहिया वार्ड, कटनी पं.क्र 197 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(535-C)

कटनी, दिनांक 08 जून, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/772.— माँ अम्बे ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गायत्री नगर अम्बेडकर वार्ड, कटनी, पं. क्र 200, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/350, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ अम्बे ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गायत्री नगर, अम्बेडकर वार्ड, कटनी, पं. क्र 200, का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भरत कुमार मोदी,  
सहायक पंजीयक.

(535-D)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

विश्व सखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.

तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

विश्व सखा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 31 मार्च, 1978 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
अवंति सूत मिल कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सनावद,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

अवंति सूत मिल कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 22 अक्टूबर, 1986 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-A)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
मैकेनिक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खरगौन,  
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

मैकेनिक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1390, दिनांक 31 जुलाई, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-B)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
सफाई कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., कसरावद,  
तहसील कसरावद, जिला खरगौन.

सफाई कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1419, दिनांक 03 मई, 2006 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-C)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चीराखान,  
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चीराखान, तहसील महेश्वर,, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1318, दिनांक 26 मार्च, 2002 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-D)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नलवा,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नलवा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1331, दिनांक 31 मार्च, 2003 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-E)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमठान,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमठान, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1346, दिनांक 28 जून, 2003 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-F)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओखला,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ओखला, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1363, दिनांक 16 फरवरी, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यो न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-G)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतरगांव,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतरगांव, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1366, दिनांक 16 फरवरी, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यो न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-H)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भोगांवा,  
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भोगांवा, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1453, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-1)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
टांडा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति टांडा,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

टांडा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति टांडा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1420, दिनांक 05 मई, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-J)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेरुखेड़ा,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेरुखेड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1401, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-K)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.  
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

विवेकानंद गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 02 मई 1979 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.



2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-L)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार भीकनगांव,  
तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन।

बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1554, दिनांक 20 अगस्त, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-M)

खरगौन, दिनांक 29 जून, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार भीकनगांव,  
तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन.

क्र./परि./2016/832.—जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार भीकनगांव, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1556, दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यो न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-N)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
पूजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महेश्वर,  
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

पूजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1577, दिनांक 26 अगस्त, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मै, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-O)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

नर्मदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, खरगौन,

तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

नर्मदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1582, दिनांक 11 अक्टूबर, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मै, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-P)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

विपाशा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कसरावद,

तहसील कसरावद, जिला खरगौन.

विपाशा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1597, दिनांक 24 जुलाई, 2010 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-Q)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
नवदुर्गा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सनावद,  
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

नवदुर्गा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सनावद, तहसील बड़वाह,, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1616, दिनांक 11 अगस्त, 2011 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-R)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
मातेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., खरगौन,  
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

मातेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1617, दिनांक 11 अगस्त, 2011 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-S)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
श्री साईं बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर,  
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

श्री साईं बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1627, दिनांक 24 जनवरी, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-T)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., सिनगुन,  
तहसील कसरावद, जिला खरगौन.

फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., सिनगुन, तहसील कसरावद, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1502, दिनांक 03 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(536-U)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., डोंगरगांव,  
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., डोंगरगांव, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1545, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-V)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
जय दुर्गे उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था, सेल्दा,  
तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन.

जय दुर्गे उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था सेल्दा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 603, दिनांक 03 दिसम्बर, 1983 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(536-W)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,  
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़दिया सुरता,  
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़दिया सुरता, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1315, दिनांक 15 जनवरी, 2002 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(536-X)





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल, शुकुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2016-आषाढ 31, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.--
2. जुताई.- ..
3. बोनी.- ..
4. फसल स्थिति- ..
5. कटाई.- जिला भोपाल में फसल गेहूँ, व मुरैना, उमरिया, सीधी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2016

क्र.	जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
	1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	. . . . . . . . . . . .				
2.	जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
	1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	. . . . . .				
3.	जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	. . . . . . . . . . . . . .				
4.	जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली, गेहूँ, चना, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
	1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	. . . . . . . .				
5.	जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
	1. सेंवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	. . . . . .				
6.	जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. . .	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	. . . . . . . . . . . . . . . .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	जिला अशोकनगर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
	1. मुँगावली	..				
	2. ईसागढ़	..				
	3. अशोकनगर	..				
	4. चन्देरी	..				
	5. शाढौरा	..				
8.	जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. गुना	..				
	2. राधोगढ़	..				
	3. बमोरी	..				
	4. आरोन	..				
	5. चाचौड़ा	..				
	6. कुम्भराज	..				
9.	जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. निवाड़ी	..				
	2. पृथ्वीपुर	..				
	3. जतारा	..				
	4. टीकमगढ़	..				
	5. बल्देवगढ़	..				
	6. पलेरा	..				
	7. ओरछा	..				
10.	जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. लव-कुश नगर	..				
	2. गौरीहार	..				
	3. नौगांव	..				
	4. छतरपुर	..				
	5. राजनगर	..				
	6. बिजावर	..				
	7. बड़ामलहरा	..				
	8. बक्सवाहा	..				
11.	जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई- सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
	1. अजयगढ़	..				
	2. पन्ना	..				
	3. गुन्नौर	..				
	4. पवई	..				
	5. शाहनगर	..				
12.	जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. बीना	..				
	2. खुरई	..				
	3. बण्डा	..				
	4. सागर	..				
	5. रेहली	..				
	6. देवरी	..				
	7. गढ़ाकोटा	..				
	8. राहतगढ़	..				
	9. केसली	..				
	10. मालथोन	..				
	11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..					
2. बटियागढ़	..					
3. दमोह	..					
4. पथरिया	..					
5. जवेरा	..					
6. तेन्दूखेड़ा	..					
7. पटेरा	..					
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..					
2. मझगवां	..					
3. रामपुर-बघेलान	..					
4. नागौद	..					
5. उचेहरा	..					
6. अमरपाटन	..					
7. रामनगर	..					
8. मैहर	..					
9. बिरसिंहपुर	..					
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..					
2. सिरमौर	..					
3. मऊगंज	..					
4. हनुमना	..					
5. हजूर	..					
6. गुढ़	..					
7. रायपुरकचुलियान	..					
<b>16. जिला शहडोल* :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..					
2. ब्यौहारी	..					
3. जैसिंहनगर	..					
4. जैतपुर	..					
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, राई- सरसों, गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..					
2. अनूपपुर	..					
3. कोतमा	..					
4. पुष्पराजगढ़	..					
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, अलसी, कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..					
2. पाली	..					
3. मानपुर	..					
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..					
2. सिंहावल	..					
3. मझौली	..					
4. कुसमी	..					
5. चुरहट	..					
6. रामपुरनैकिन	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. जिला सिंगरौली:	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त	
3. सिंगरौली	..					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासराटप्पा	..			4. (1) चना अधिक. गेहूँ, सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..			कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..			(2) ..		
4. गरोठ	..					
5. मंदसौर	..					
6. श्यामगढ़	..					
7. सीतामऊ	..					
8. धुंधड़का	..					
9. संजीत	..					
10. कयामपुर	..					
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			अधिक. गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..			(2) ..		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. पिपलोदा	..					
6. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन* :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..			(2) ..		
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..			4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..					
4. कालापिपल	..					
5. गुलाना	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..					
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. खातेगांव	..					
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..					
2. मेघनगर	..					
3. पेटलावद	..					
4. झाबुआ	..					
5. राणापुर	..					
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोट. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..					
2. अलीराजपुर	..					
3. कट्टीवाड़ा	..					
4. सोडवा	..					
5. भामरा	..					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना, अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..					
2. सरदारपुर	..					
3. धार	..					
4. कुशी	..					
5. मनावर	..					
6. धरमपुरी	..					
7. गंधवानी	..					
8. डही	..					
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..					
2. सांवेर	..					
3. इन्दौर	..					
4. महु	..					
(डॉ अम्बेडकरनगर)						
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..					
2. महेश्वर	..					
3. सेगांव	..					
4. खरगौन	..					
5. गोगावां	..					
6. कसरावद	..					
7. भगवानपुरा	..					
8. भीकनगांव	..					
9. झिरन्या	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..			4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.		6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..						
4. सेंधवा	..						
5. पानसेमल	..						
6. पाटी	..						
7. निवाली	..						
<b>34. जिला खण्डवा* :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..			4. (1) ..		6. ..	8. ..
2. पंधाना	..			(2) ..			
3. हरसूद	..						
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..						
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..			4. (1) ..		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) ..		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. ग्यारसपुर	..						
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2.	गेहूँ, की कटाई का कार्य चालू है.	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..			गन्ना.		चारा पर्याप्त.	
				(2) ..			
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) ..		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..						
4. नसरुल्लागंज	..						
5. बुधनी	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..			4. (1) गेहूँ, तिल, लाख, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..			अधिक. चना, मूँग कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..			मटर समान.		
4. गौहरगंज	..			(2) ..		
5. बरेली	..					
6. सिलवानी	..					
7. बाड़ी	..					
8. उदयपुरा	..					
<b>41. जिला बैतूल* :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..			(2) ..		
3. शाहपुर	..					
4. चिचोली	..					
5. बैतूल	..					
6. मुलताई	..					
7. आठनेर	..					
8. आमला	..					
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..			4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..			चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..			(2) ..		
4. इटारसी	..					
5. सोहागपुर	..					
6. पिपरिया	..					
7. बनखेड़ी	..					
8. पचमढी	..					
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..			4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..					
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..			4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..			सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..			(2) ..		
4. मझोली	..					
5. कुण्डम	..					
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..			4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..			गेहूँ, मसूर, मटर, जौ.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..			(2) ..		
4. बहोरीबंद	..					
5. ढीमरखेड़ा	..					
6. बरही	..					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. गाड़रवारा	..				
	2. करेली	..				
	3. नरसिंहपुर	..				
	4. गोटेगांव	..				
	5. तेंदूखेड़ा	..				
47.	जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. निवास	..				
	2. बिछिया	..				
	3. नैनपुर	..				
	4. मण्डला	..				
	5. घुघरी	..				
	6. नारायणगंज	..				
48.	जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
	1. डिण्डोरी	..				
	2. बजाग	..				
	3. शाहपुरा	..				
49.	जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. छिंदवाड़ा	..				
	2. जुन्नारदेव	..				
	3. परासिया	..				
	4. तामिया	..				
	5. सोंसर	..				
	6. पांडुर्णा	..				
	7. अमरवाड़ा	..				
	8. चौरई	..				
	9. बिछुआ	..				
	10. चांद	..				
	11. हरई	..				
	12. मोहखेड़ा	..				
50.	जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई- सरसों, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. सिवनी	..				
	2. केवलारी	..				
	3. लखनादोन	..				
	4. बरघाट	..				
	5. उरई	..				
	6. घंसोर	..				
	7. घनोरा	..				
	8. छपारा	..				
51.	जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. बालाघाट	..				
	2. लाँजी	..				
	3. बैहर	..				
	4. वारासिवनी	..				
	5. कटंगी	..				
	6. किरनापुर	..				

टीप.-\*जिला शहडोल, उज्जैन, खंडवा बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(539)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016